

न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क. 06 अ/19(3) वर्ष 17-18

ग्राम नेतना प.ह.नं. 60

तहसील मालथौन जिला सागर

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग कमांक-01 सागर
जिला सागर (म0प्र0)
विरुद्ध
म.प्र.शासन

.....आवेदक

.....अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 25/01/2018)

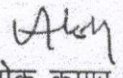
प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक- एक सागर ने पत्र कमांक-2910/कार्य/2017-18 सागर दिनांक 10.10.17 के द्वारा सागर जिले के मालथौन विकास खंड अन्तर्गत सेवन एवं नेतना जलाशय योजनाओं के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु ग्राम नेतना तहसील मालथौन की भूमि ख0नं0 107 रकवा 14.08 हे. भूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई जाने से उक्त भूमि में से 1.00 हे. सेवन जलाशय योजना, 2.50 हे. नेतना जलाशय योजना, 10.58 हे. मगरा जलाशय योजना कुल रकवा 14.08 हे. वन विभाग को हस्तांतरित किया जाना प्रस्तावित किया गया।

प्राप्त प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी खुरई/नायब तहसीलदार बांदरी से प्रकरण तैयार कराया गया। नायब तहसीलदार बांदरी द्वारा प्रकरण कमांक-25 बी/121 वर्ष 17-18 ग्राम नेतना में इशतहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित करते हुए पटवारी प्रतिवेदन लेकर ग्राम की भौगोलिक जानकारी देते हुए एवं जल संसाधन विभाग के संशोधित पत्र कमांक-49 दिनांक 04.01.2018 के द्वारा ग्राम मगरा जलाशय योजना में वन भूमि डूब में आने के कारण बदले में भूमि की मांग नहीं की गई है। मात्र ग्राम सेवन जलाशय योजना में 2.21 हे. एवं नेतना जलाशय योजना में 2.50 हे. भूमि डूब में आने के कारण योजना में डूब में आई वन भूमि के बदले ग्राम नेतना प.ह.नं. 60 रा.नि.मं. बांदरी की शासकीय भूमि ख0नं0 107 रकवा 14.08 हे., मद चरनोई में से 4.71 हे. राजस्व भूमि वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने का निवेदन किया है। प्रस्तावित भूमि का राजस्व, वन एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.01.18 को संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया जाकर वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित किया गया। जिसकी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा की गई।

अतः अनुविभागीय अधिकारी खुरई एवं नायब तहसीलदार बांदरी के प्रस्ताव एवं जल संसाधन विभाग तथा वन विभाग की सहमति पर ग्राम नेतना तहसील मालथौन की निम्नानुसार भूमि :-

क्रं.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकवा (हे.में)	आरक्षित रकवा (हे. में)	मद
01	नेतना	60	107	14.08	4.71	चरनोई शासकीय

को म.प्र.भू.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2011) की धारा 237(3) के तहत प्रस्तावित भूमि का मद परिवर्तन करते हुए सेवन एवं नेतना जलाशय योजनाओं के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को आवंटित की जाती है। उक्त भूमि के आवंटन से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। आवंटित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।


(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला-सागर

P.T.O

//2//

पृ०क०/1061/री०कले०/2018

सागर दिनांक 25/01/2018

प्रतिलिपि:-

1. वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर वन मंडल सागर की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी खुरई जिला सागर की ओर मूल प्रकरण सहित नायब तहसीलदार बांदरी तहसील मालथौन से आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्त कराये जाने तथा संबंधित विभाग को आवंटित भूमि का अधिपत्य दिलाये जाने हेतु।
3. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 सागर को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार मालथौन जिला सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बांदरी तहसील मालथौन जिला सागर को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

Handwritten signature
कलेक्टर
जिला-सागर

कार्यालय कार्यपालन यंत्री

जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर (म.प्र.)

पत्र संख्यांकन क्र. 374 / क्रमांक/वर्तमान/2018

लागत 2.2.18

प्रतिलिपि:-

अनुविभागीय अधिकारी बांदरी मंडल सीकरी कार्ड तहसील मालथौन
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अगोपित।

Handwritten signature

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग क्र. 1
सागर (म.प्र.)

न्यायालय कलेक्टर सागर जिला सागर

प्रकरण क. 24 अ/19(3) वर्ष 17-18

ग्राम नेतना प.ह.नं. 60

तहसील मालथौन जिला सागर

कार्यपालन यंत्री,
जल संसाधन संभाग कमांक-01 सागर
जिला सागर (म0प्र0)

विरुद्ध

म.प्र.शासन

.....आवेदक

.....अनावेदक

:: आदेश ::

(पारित दिनांक 08/07/2018)

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक-एक सागर ने ज्ञापन कमांक-917/कार्य/2017-18 सागर दिनांक 21.03.18 के द्वारा तहसील मालथौन के अंतर्गत सेवन जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि के बदले बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु समतुल्य राजस्व भूमि ग्राम नेतना तहसील मालथौन प.ह.नं. 60 ख0नं0 107/1 रकवा 9.37 हे. में से 4.05 हे. सेवन जलाशय योजना के लिए बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित किया गया है।

प्राप्त प्रस्ताव पर अनुविभागीय अधिकारी खुरई/नायब तहसीलदार बांदरी से प्रकरण तैयार कराया गया। नायब तहसीलदार बांदरी का प्रकरण कमांक-157 बी/121 वर्ष 17-18 ग्राम नेतना अनुविभागीय अधिकारी खुरई के माध्यम से दिनांक 01.06.18 को प्राप्त हुआ जो अपूर्ण होने से पूर्ति हेतु वापिस भेजा गया। नायब तहसीलदार बांदरी द्वारा प्रकरण कमांक-157 बी/121 वर्ष 17-18 ग्राम नेतना पूर्ति उपरांत अनुविभागीय अधिकारी खुरई के माध्यम से प्राप्त हुआ। नायब तहसीलदार बांदरी ने प्रकरण में इशतहार जारी कर आपत्तियां आमंत्रित की गईं कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिया गया। वन विभाग एवं जल संसाधन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों द्वारा ग्राम नेतना की भूमि का संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया कि प्राप्त जी.पी.एस.रीडिंग के अनुसार रकवा 4.05 हे. भूमि सेवन जलाशय में प्रभावित होने से ग्राम नेतना तहसील मालथौन की भूमि ख.नं. 107/1 रकवा 9.37 हे. में से 4.05 हे. सेवन जलाशय के डूब क्षेत्र में आने से बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाई गई है। हल्का पटवारी से जांच प्रतिवेदन लिया गया। प्रस्तावित भूमि का राजस्व, वन एवं जल संसाधन विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से स्थल निरीक्षण किया जाकर वन विभाग को बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु हस्तांतरित की जाना प्रस्तावित किया गया। जिसकी अनुशंसा अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा की गई।

अतः अनुविभागीय अधिकारी खुरई एवं नायब तहसीलदार बांदरी के प्रस्ताव एवं जल संसाधन विभाग तथा वन विभाग की सहमति पर ग्राम नेतना तहसील मालथौन की निम्नानुसार भूमि :-

क्र.	ग्राम का नाम	प.ह.नं.	ख.नं.	कुल रकवा (हे. में)	हस्तांतरित रकवा (हे. में)	मद
01	नेतना	60	107/1	9.37	4.05	चरनोई शासकीय

को म.प्र.भू.संहिता 1959 (यथा संशोधित 2018) की धारा 237(3) के तहत प्रस्तावित भूमि का मद परिवर्तन करते हुए सेवन जलाशय योजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित वन भूमि के बदले बैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र. शासन वन विभाग को हस्तांतरित की जाती है। उक्त भूमि के हस्तांतरण से ग्राम का आम निस्तार का रकवा अप्रभावित रहेगा। आवंटित भूमि का नियत प्रयोजन में उपयोग न होने पर पूर्ण अथवा आंशिक भूमि वापिस ली जा सकेगी।



(आलोक कुमार सिंह)
कलेक्टर
जिला-सागर

P.T.O

//2//

7693

पृ०क० / /री०कले० / 2018
प्रतिलिपि:-

सागर दिनांक 18/07/2018

1. वन मंडल अधिकारी उत्तर सागर वन मंडल सागर की ओर सूचनार्थ।
2. अनुविभागीय अधिकारी खुरई जिला सागर की ओर मूल प्रकरण सहित नायब तहसीलदार बांदरी तहसील मालथौन से आदेशानुसार अभिलेख दुरुस्त कराये जाने तथा संबंधित विभाग को आवंटित भूमि का अधिपत्य दिलाये जाने हेतु।
3. कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 सागर को सूचनार्थ।
4. तहसीलदार मालथौन जिला सागर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नायब तहसीलदार बांदरी तहसील मालथौन जिला सागर को आदेशानुसार कार्यवाही हेतु।

Ashy
कलेक्टर
जिला-सागर

